

वित्तीय बाजारों और विश्व-अर्थव्यवस्था पर जी-20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

15 नवंबर, 2008

हम एक ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब विश्व अर्थव्यवस्था असाधारण रूप से कठिन दौर से गुजर रही है। एक वर्ष पूर्व जो वित्तीय संकट अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था के एक हिस्से में सिमटा हुआ लग रहा था अब औद्योगिक देशों के परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े वित्तीय बाजारों के माध्यम से फैलता हुआ संपूर्ण व्यवस्था के संकट के रूप में सामने आ चुका है और इसका प्रभाव अन्य बाजारों पर भी पड़ रहा है।

इससे सामान्य ऋण चैनल बाधित हुए हैं और दुनिया भर के स्टॉक बाजारों में विश्वव्यापी गिरावट की शुरुआत हुई है। वास्तविक अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई है। औद्योगिक देशों की विकास गति 2008 में मंद रहने की आशा थी। अब साल के आखिरी छमाही में उनके मंदी के दौर में रहने का अनुमान है, और सामान्य स्थिति में उनकी जल्दी वापसी की संभावना भी कम ही है। बहुतों ने इसे विश्वव्यापी ऐतिहासिक मंदी के बाद का सबसे गंभीर संकट करार दिया है।

इस संकट का कारण विकसित होती बाजार व्यवस्था वाले देश नहीं, बल्कि वे इससे सर्वाधिक गंभीर रूप से पीड़ित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। मंदी से विकासशील देशों के निर्यात निष्पादन को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही जोखिम की बढ़ी हुई संभावना से ऋण बाधित होने के कारण पूंजी प्रवाह घटेगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्तर में गिरावट आएगी। इसका मिला जुला प्रभाव होगा विकासशील देशों में मंद आर्थिक संवृद्धि।

भारत इस दुष्प्रभाव को महसूस कर रहा है। चार वर्षों तक प्रतिवर्ष लगभग नौ प्रतिशत की दर से वृद्धि करने के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारी संवृद्धि दर घटकर सात से साढ़े सात प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। आगामी वर्ष में संवृद्धि की गति कुछ सीमा तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वैश्विक मंदी कब तक रहती है और कितनी जल्दी वैश्विक पूंजी प्रवाह अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भारत की संवृद्धि अधिकांशतः आंतरिक कारकों से प्रेरित है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में हम संवृद्धि की तीव्र गति बनाए रख सकते हैं। परंतु बहुत से विकासशील देश इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे।

संवृद्धि में गिरावट लाखों लोगों को फिर से गरीबी की ओर धकेल देगी और पोषण, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक स्तर दुष्प्रभावित होंगे। ये दुष्प्रभाव अल्पकालिक नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित करेंगे। यदि हमें स्वयं को पीछे जाने से रोकना है

और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि अप्रभावित रहे ।

चूंकि यह संकट वैश्विक है, इसलिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, ऐसे में यह सम्मेलन बिल्कुल उचित समय पर हो रहा है । हमें अपनी चर्चाओं में विकासशील देशों को कम से कम प्रभावित करने वाली तथा जितनी जल्दी संभव हो संकट को नियंत्रण में लाने वाली तात्कालिक प्राथमिकता और भविष्य में ऐसे संकट उत्पन्न होने से रोकने के लिए वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार के मध्यावधि लक्ष्य में अंतर करने की जरूरत है । मैं इन दोनों पर संक्षेप में टिप्पणी करूंगा ।

जहां तक तात्कालिक प्राथमिकता का संबंध है, मैं मानता हूँ कि वित्तीय प्रणाली में नकदी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कई देशों द्वारा बैंकों तथा वित्तीय प्रणाली के अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के पुनर्पूजीकरण के महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कुछ देशों ने नवीन, बल्क गैर पांरपरिक उपाय किए हैं, ताकि वित्तीय प्रणाली पुनः सामान्य रूप से कार्य करना शुरू कर सके । इन उपायों का कुछ असर हुआ है, लेकिन संकट अभी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऋण चैनल अभी भी बाधित हैं और वास्तविक अर्थव्यवस्था में मौजूद संकट के चिन्ह बताते हैं कि अतिरिक्त उपायों की जरूरत है।

विचार करने का एक स्पष्ट मुद्दा यह है कि क्या मंदी की प्रवृत्तियों को देखते हुए कुछ राजकोषीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जो देश ऐसा राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने की स्थिति में हैं उनके द्वारा समन्वित रूप से राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने से मंदी के संकट की गंभीरता तथा इसकी अवधि को कम करने में मदद मिलेगी। इससे दुनिया भर के निवेशकों को एक सशक्त संकेत भी मिलेगा। राजकोषीय प्रोत्साहन का सहारा लेना कुछ स्थितियों में जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन अगर हम सचमुच ऐतिहासिक वैश्विक मंदी के बाद के सबसे अधिक गिरावट के दौर में हैं, तो यह जोखिम उठाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन के पूरक के तौर पर उठाए जा सकने वाले सभी संभव कदम उठा लेने चाहिए।

विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह में हो रही कमी को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा विशेष पहल करने पर विचार करने की जरूरत है । इस कमी का आगामी दो सालों तक बरकरार रहनी लगभग तय है । नवीन तरलता सुविधा प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गई पहल स्वागत योग्य है । परंतु हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि इस वैश्विक संकट के प्रबंधन की प्रक्रिया में जो लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने होगा उसके लिए कोष में पर्याप्त जमा है या नहीं । भविष्य को देखते हुए हमें वैश्विक मंदी के और गहराने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष प्रस्तुत होने वाले संभावित अतिरिक्त मांगों के लिए भी योजना बना लेनी

चाहिए । ऐसे में लगता है कि हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों की भरपाई की प्रक्रिया शुरू ही कर देनी चाहिए ।

एक द्रुत तरलता संवितरक स्रोत के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक विकल्प अल्पावधि स्थानापन्न व्यवस्थाओं का सृजन है। ऐसी व्यवस्थाओं की मौजूदगी से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था में विश्वास में वृद्धि होगी। ऐसी व्यवस्थाओं का सृजन कर सकने वाले देशों को ऐसी व्यवस्थाओं के कार्यक्षेत्र प्रसाद पर विचार करना चाहिए।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर में विकासशील देशों में निजी निवेश में कमी आने की संभावना है, जिससे मंदीकारक प्रवृत्तियाँ अधिक गंभीर रूप धारण कर लेंगी । ऐसी स्थिति को आने से रोकने के लिए कदम उठाने आवश्यक हैं । ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा तथा जहां संभव हो निजी क्षेत्र द्वारा अवसंरचना में निवेश में वृद्धि करना एक आदर्श प्रत्यावर्ती युक्ति है । यह युक्ति प्रत्यावर्ती रूप से मांग में वृद्धि करने में तात्कालिक रूप से भी प्रभावशाली है और तीव्र संवृद्धि के मार्ग पर जल्दी वापसी की अनुकूल स्थितियों का निर्माण कर सकने में दूरगामी रूप से भी प्रभावशाली है । आज अवसंरचना में निवेश आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी क्षेत्र को नया जीवन प्रदान करने का संभवतः सर्वोत्तम संकेत है ।

भविष्य में अवसंरचना में निवेश को सीमित करने वाली वित्तीयन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नवीन और परिवर्तनकारी उपायों की आवश्यकता है । विश्व बैंक, क्षेत्रीय विकास बैंकों और सरकारों को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के अतिरिक्त ऋण प्रदान करने, और योजनाधीन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को ऋण देने के लिए बैंकिंग संस्थानों को पूंजी और तरलता संबंधी सहायता प्रदान करने जैसे उपायों पर विचार करने की जरूरत है । विश्व बैंक/आई एफ सी और क्षेत्रीय विकास बैंकों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास के समर्थन में प्रतिवर्ष पचास बिलियन डालर का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए । वैश्विक पूंजी प्रवाह के सामान्य स्थिति में आते ही इस सहायता मार्ग को बंद किया जा सकता है ।

विकासशील देशों को उपलब्ध निर्यात ऋण वित्त के पैमाने को बढ़ाकर इन देशों के वाणिज्य प्रवाह में नवीन जीवन का संरचना करने में औद्योगीकृत देश भी सहयोग दे सकते हैं । हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में जोखिम की बढ़ी हुई भावना के साथ अस्थायी रूप से बाजार की विफलता की स्थिति है, जिससे निजी प्रवाह हतोत्साहित होते हैं । बाजार की विफलता पर नियंत्रण पाने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है । संवृद्धि और रोजगार को अपनी संपूर्ण जटिलताओं के साथ प्रभावित करने वाले इस संकट की मौजूदगी में व्यापार को ठप्प होते हुए कोई नहीं देखना चाहता है । उचित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण वित्तीयन में वृद्धि की संगठित सरकारी कार्रवाई से विकासशील देशों

में गरीबी निवारण और रोजगार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण विकास की गति को बनाए रखने में सहायता मिलेगी ।

इस असाधारण कठिनाई के दौर में विकासशील देशों की सहायता के लिए सुनिश्चित कदम उठाने की हमारी तत्परता हमारे सामूहिक नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी। बहुत से विकासशील देशों ने लगातार मुक्त होते जा रहे और भूमंडलीकृत विश्व की चुनौतियों से निबटने के लिए आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन के कठोर प्रयास किए हैं । इसके लिए प्रायः ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता हुई है जिनसे घरेलू वातावरण में भय और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है । इस प्रक्रिया में हमने दृढ़ता से काम लिया है और इसका लाभ हमें मिला है । लगभग सभी विकासशील देशों में आर्थिक निष्पादन में सुधार हुआ है । इस प्रक्रिया में भूमंडलीकरण के प्रति लोगों के रुख में परिवर्तन होना शुरू हो गया है और दुनिया भर में लोगों ने वैश्विक आर्थिक एकीकरण से प्राप्त हो सकने वाले व्यापक लाभों का महत्व समझा है । यदि विकासशील विश्व में मुक्त नीतियों के पक्ष में बढ़ता समर्थन एक ऐसी मंदी से विकासशील देशों की सुरक्षा न कर पाने के कारण कमजोर पड़ जाए, जो उनके कारण उत्पन्न न हुई हो तो यह सचमुच दयनीय स्थिति होगी ।

वैश्विक व्यापार प्रणाली को सशक्त करने और मंदी के दौर में सदैव प्रकट हो जाने वाली संरक्षणकारी प्रवृत्तियों को पहले ही रोकने का प्रबंध करने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने की जरूरत है । इस चरण में चल रहे बहुपक्षीय वार्ताओं का सफल समापन, एक महत्वपूर्ण विश्वास पैदा करने वाला कदम होगा। ऐसे में एक संतुलित और परस्पर लाभकारी नतीजे पर पहुंचने के लिए हम अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ रचनात्मक रूप से कार्य करने के इच्छुक हैं ।

जबकि तत्काल हमारी प्राथमिकता अभी भी लगातार सामने आ रहे संकट से निबटने की होगी, हमें इसे भी देखने की जरूरत है कि ऐसे संकट पुनः उपस्थित न होने देने के लिए वैश्विक वित्तीय संरचना में क्या अपेक्षित परिवर्तन हो सकते हैं । इस क्षेत्र में काफी उपयोगी कार्य पहले हो वित्त मंत्रियों द्वारा किए गए हैं और कई क्षेत्रों में अपेक्षित सहमति बनी है । इसलि मैं अपनी बातों को कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा ।

मैं इस आम धारणा से सहमत हूँ कि इस संकट के पीछे कई कारक हैं और भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना अनिवार्यतः इससे निबट सकने लायक बनाई जानी चाहिए । इनमें विनियामक तथा पर्यवेक्षक तंत्रों की विफलता, प्रणालीगत जोखिम की अपर्याप्त समझ व उनका त्रुटिपूर्ण प्रबंधन और वित्तीय संस्थानों में अपर्याप्त पारदर्शिता शामिल है ।

अर्थव्यवस्था की जो नई रूपरेखा हम बनाएं उसमें बहुपक्षीय निगरानी की एक विश्वसनीय प्रणाली शामिल होनी चाहिए, जो व्यवस्था को प्रभावित कर सकने वाले

असंतुलनों के उत्पन्न होने का संकेत दे सके, और साथ ही परामर्श की एक प्रक्रिया भी शुरू कर सके जो नीति समन्वयन के संदर्भ में परिणाम प्रदान कर सके। यहां मैं अपने प्रयासों के व्यापक आधार वाले बहुपक्षीय रूख के महत्व पर बल देना चाहूंगा। आज की मांगें पूरी करने में अब जी-7 जैसे संगठन पर्याप्त नहीं रहे। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम जो भी नई व्यवस्था बनाएं वह उन देशों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली सच्चे अर्थों में बहुपक्षीय व्यवस्था हो, जिन देशों ने आर्थिक वास्तविकताओं में बदलाव किया है।

अर्थव्यवस्था के बृहत् आयामों अर्थात् मैक्रो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न असंतुलनों की और वित्तीय स्थायित्व के साथ उसके संबंध की बहुपक्षीय निगरानी का कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक उपयुक्त संगठन है। फिर भी यह सवाल उठाना औचित्यपूर्ण है कि क्या इसकी प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं इसके कार्य के अनुरूप पर्याप्त हैं। विगत वर्षों के दौरान नीतिगत विश्लेषण के लिए और प्रमुख देशों में अर्थव्यवस्था के बृहत् आयामों में उत्पन्न असंतुलनों तथा उनसे संबंधित नीतियों पर परामर्श हेतु 'कोष' अब कम उपयोगी ही रह गया है। यह कार्य अब अन्य मंचों द्वारा किया जाता है। हालांकि यह प्रश्न जरूर है कि क्या कार्य ठीक से किया जा रहा है। मेरे विचार में हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उन प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए, जिनके आधार पर शासन सुधार से संबंधित सिफारिशों की जाती हैं तथा जो कोष को अर्थव्यवस्था के बृहत् आयामों से संबंधित नीतियों के समन्वयक की भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा।

दीर्घकालिक सुधार का एक महत्वपूर्ण तत्व है वर्तमान और संभावित आर्थिक वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने के लिए कोष के शासन सोपानों में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित करना। मत देने की शक्ति में परिवर्तन करने का एक सामान्य तरीका कोटा सुधार है, लेकिन यह विवादस्पद और उलझा हुआ रहा है और इस तरह जो उपलब्धि हासिल की गई है वह आवश्यकता से काफी कम है। एक अधिक वैध प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रियाओं की खोज का कार्यभार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए।

भविष्य को देखते हुए हमें वित्तीय प्रणाली में मौजूद विनियम संबंधी कई अभावों पर भी ध्यान देना है, जिनसे अर्थ व्यवस्था में अतिरिक्त उछाल आता है और साथ ही उनसे जुड़े जोखिम उत्पन्न होते हैं। जाहिर है हमें जोखिम प्रबंधन की बेहतर प्रणालियों और बेहतर विनियम व पर्यवेक्षण की जरूरत विशेषकर वैश्विक परिधि वाली संस्थाओं में है, जो अत्यंत जटिल वित्तीय उपकरणों से संबंधित कामकाज कर रहे हैं। वित्तीय संस्थानों क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और विनियामकों को कहीं बेहतर कार्य करना है। प्रणाली में आर्थिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था इस लक्ष्य के अनुरूप की जानी है। हमें

इसकी जांच भी करनी चाहिए कि विनियामकों के जो मंच वर्तमान समय में कार्यरत हैं क्या वे पर्याप्त हैं और परिधि में अपेक्षित सभी विनियामक और पर्यवेक्षण संबंधी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं ।

ये मुद्दे तकनीकी हैं और इन पर विचार वित्तीय स्थायित्व से संबंधित कार्य करने वाले विशेषज्ञ मंचों/संस्थाओं में ही किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बैसले समिति और वित्तीय स्थायित्व फोरम उल्लेखनीय हैं । हालाँकि इन दोनों संगठनों में वर्तमान स्थिति की अपेक्षा अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है । जिन प्रमुख मंचों पर इन मुद्दों पर विमर्श किया जाना है यदि वे अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व वाले हों तो विनियम संबंधी मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय समन्वय और भी शीघ्र स्थापित हो सकेगा । इन मंचों में वर्तमान प्रतिनिधित्व को और व्यापक बनाना अत्यंत सरल है और आशा है यह शिखर सम्मेलन इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा । निश्चित रूप से यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार करने की हमारी नीयत में और अधिक भरोसा जगाएगा ।

यह देखते हुए कि इस वित्तीय संकट ने एक साथ प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं को प्रभावित किया है, हमें व्यापार एवं विकास वित्त की मौजूदा व्यवस्थाओं का परीक्षण इस दृष्टि से विचार करने के लिए करना चाहिए कि वर्तमान स्थितियों जैसी कठिनाइयों की मौजूदगी में इन प्रवाहों में अधिक स्थायित्व कैसे सुनिश्चित करें । इस विषय पर विचार मेरे द्वारा बताए गए विशेषज्ञ समूह द्वारा या इस विषय विशेष पर केंद्रित अलग समूह द्वारा किया जा सकता है । उनके कार्य से भविष्य में इन प्रवाहों में वृद्धि करने और उसे बनाए रखने के लिए उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों और उपकरणों की रूपरेखा मिल सकेगी ।

इस सम्मेलन के आयोजन ने बहुतों में यह आशा जगाई है कि हम एक नए ब्रेटनवुड्स स्लू के निर्माण के लिए कार्य करेंगे । निश्चित तौर पर दुनिया इतनी बदल चुकी है कि एक नई व्यवस्था की जरूरत है । लेकिन बहुत गंभीर तैयारी और परामर्श के आधार पर नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है । फिर भी हम यह संकेत दे सकते हैं कि समय रहते हम एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने को लेकर गंभीर हैं, जो विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न नई चुनौतियों से निबटने और इसकी कमजोरियों की समाप्ति के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी। साथ ही, आर्थिक संरचना में हुए बदलावों को भी प्रदर्शित करने वाली होगी । हमें दुनिया को यह स्पष्ट संकेत भी देना चाहिए कि वर्तमान संकट से निपटने के लिए ऐसी सुस्पष्ट समन्वित कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प हैं, जो व्यवस्था में पुनः विश्वास जगाएगी और विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगी । हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जिन

प्रक्रियाओं की आज हम शुरूआत करें वे हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा दें और उनके लिए कल्याणकारी हो ।